न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 03/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 जेठाराम चाहर पुत्र सुगनाराम चाहर जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट जानेवा पूर्व तहसील जायल फर्मः– मैसर्स जसनाथ किराणा स्टोर, जोधियासी 2 सुगनाराम जाट पुत्र गेनाराम निवासी मुकाम पोस्ट जानेवा पूर्व तहसील जायल फर्मः– मैसर्स जसनाथ किराणा स्टोर, जोधियासी 3 मनोहर शर्मा पुत्र शिवराज शर्मा निवासी गवाड सरासनी, सोमणा तहसील जायल। फर्मः– मॉ दधिमति मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड, बाजार रोड, डेह तहसील जायल जिला नागौर। 4 फर्मः– मॉ दधिमति मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड, बाजार रोड, डेह तहसील जायल जिला नागौर।

आदेश

दिनांक :16.02.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25-02-2020 को मैसर्स जसनाथ किराणा स्टोर, जोधियासी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1254 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 91/एक्ट/2020/46 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) अनसेफ व मिसब्राण्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के असंतुष्ट होने पर उक्त चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण जेठाराम चाहर पुत्र सुगनाराम चाहर जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट जानेवा पूर्व तहसील जायल, सुगनाराम जाट पुत्र गेनाराम निवासी मुकाम पोस्ट जानेवा पूर्व तहसील जायल, मनोहर शर्मा पुत्र शिवराज शर्मा निवासी गवाड सरासनी, सोमणा तहसील जायल एवं फर्म मां दधिमति मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड बाजार रोड डेह तहसील जायल जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-12-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.02.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मिर्ची का सेम्पल भरा गया जो मैने मां दधिमति मसाला उद्योग डेह से खरीदा था जो मिस ब्राण्ड पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूगां। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फेक्ट्री का मिर्ची का सेम्पल जसनाथ किराणा स्टोर जोधियासी से भरा गया था, जो मिसब्राण्ड पाया गया था। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूगां। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस 91/एक्ट/2020/46 दिनांक 04.03.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) का नमूना अनसेफ एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिस पर अप्रार्थीगण उक्त जांच से असंतुष्ट होने पर उक्त चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) के नमूने की पुनः जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसुर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चिली पाउडर (कुन्दन ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1. जेठाराम चाहर पुत्र सुगनाराम चाहर जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट जानेवा पूर्व तहसील जायल एवं अप्रार्थी संख्या 2. सुगनाराम जाट पुत्र गेनाराम निवासी मुकाम पोस्ट जानेवा पूर्व तहसील जायल, जिला नागौर पर सयुंक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा

अप्राथी संख्या 3. मनोहर शर्मा पुत्र शिवराज़ शर्मा निवासी गवाड सरासनी, सोमणा तहसील जायल एवं अप्रार्थी संख्या 4. फर्म मां दधिमति मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड बाजार रोड डेह तहसील जायल जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये कुल रूपये 20,000/— अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)